उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2017

का.आ. 3397(अ)—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निबंधन) हटाना आदेश, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,—इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निबंधन हटाना (पाचरण संशोधन) आदेश, 2017 है।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निबंधन) हटाना आदेश, 2016 के खंड 3 के उप-खंड (2) में, मद (iv) में “31 अक्टूबर, 2017” अंकों और शब्दों के स्थान पर “31 दिसंबर, 2017” अंक और शब्द रखें।

[फा. सं. एस-10/3/2017-ईसीआरएंडई]
पी. वी. रामाशास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ), तारीख 29 सितंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तदनुसार उसमें-का.आ. सं. 3341(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2016; का.आ. सं. 1288(अ), तारीख 25 जून, 2017, का.आ. सं. 1600(अ), तारीख 17 मई, 2017, का.आ. सं. 2785(अ) तारीख 25 अगस्त, 2017 तथा का.आ. सं. 3136(अ) तारीख 27 सितंबर, 2017 द्वारा संशोधन किए गए थे।
MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2017

S.O. 3397(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, namely:

1. **Short title and commencement.**—This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Fifth Amendment) Order, 2017.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause (2), in item (iv), for the figures, letters and word “31st October, 2017” the figures, letters and words “31st December, 2017” shall be substituted.

   [F. No. S-10/3/2017-ECR&E]

   P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

**Note:** The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended *vide* numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785(E), dated the 25th August, 2017 and S.O. No. 3136(E), dated the 27th September, 2017.